राजस्थान–सरकार

कार्यालय आयुक्त कौशल, नियोजन एंव उद्यमिता ,जयपुर ।

EMI campus, J-8-A, Jhalana Institutionol Area,Jaipur- 302004(Rajasthan)

क्रमांकःआ.–कौ.नि.उ. / 2019–20 / 333 दिनांक 18\09\2019

प्राचार्य / अधीक्षक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

......सभी......

विषयः– प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (DGT, MSDE, GoI) के दिशानिर्देशों की अनुपालना में राज्य की समस्त राजकीय व निजी आई.टी. आई. की ग्रेडिंग किये जाने के संबंध में।

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (DGT, MSDE, GoI) द्वारा आईटीआई की द्वितीय चरण के श्रेणीकरण की रूपरेखा व कार्यप्रणाली (Farmework & Methodology of Phase –2: Grading of ITIs)के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है। राज्य सरकार के स्तर पर संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण (Quality Training) की सुनिश्चिता हेतु नियमित (त्रैमासिक) रूप से आईटीआई की ग्रेडिंग का निश्चय किया गया है। ग्रेडिंग पांच श्रेणियों (Category) के अन्तर्गत की जानी है जो निम्नानुसार है।

1. Trade & Industry Engagement (व्यवसाय एवं उद्योग सहभागिता)
2. Instructor Quality & Availability (अनुदेशक उपलब्धता एवं गुणवत्ता)
3. Out come (परिणाम –परीक्षा परिणाम, नियोजन दर आदि)
4. Knowledge Infrastructure& Institute Processes (बोध संसाधन एवं संस्थानिक प्रक्रिया)
5. Bonus- Best Practices (अधिलाभ – उत्कृष्ट प्रथाएं)

इन पॅाच श्रेणियों में कुल 27 मानक (Parametre) है जिसमें प्रथम चार श्रेणियों के 16 मानक आवश्यक हैं एवं पांचवी श्रेणी Bonus(Best practices) के अन्तर्गत 11 निर्धारित मानकों में से किन्ही पांच की पूर्ति पर भी संस्थान को पूरा स्कोर प्राप्त होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना के अनुसार अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले संस्थानों को विभिन्न प्रोत्साहन (Incentive) यथा स्वंय के संस्थान में सैद्वान्तिक परीक्षा का परीक्षा केन्द्र आवंटन, नये व्यवसाय / एकक प्रारम्भ करनें की अनुमति, संस्थान के आचार्य / अनुदेशकों को प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों यथा NSTI. आदि में प्रशिक्षण के अवसर एवं संस्थान प्रधानों को राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सम्मानित किया जाना सम्मलित है, दिये जाने का प्रावधान है । इस हेतु विभाग की वेबसाइट http://www.livelihoods.rajasthan.gov.in पर Directorate of Training के Home पेज पर दिये गये लिंक (Enter ITI Grading) पर ऑनलाईन ग्रेड़िग के बिन्दुओं की Feeding करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.10.2019 तक संस्थान की ग्रेड़िग हेतु विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें । निर्देशो की पालना नहीं किये जाने पर संस्थान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न : डी॰जी॰टी॰ द्वारा जारी आई॰टी॰आई॰ की द्वितीय चरण के श्रेणीकरण की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली।

(डा॰ समित शर्मा)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

कौशल , नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांकःआ.कौनिउ / निरीक्षण / 2019 / 334-335 दिनांक 18/09/2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निदेशक,प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,जोधपुर।
2. उपनिदेशक,प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर / उदयपुर को प्रेषित है।

(डॉ0समित शर्मा)
आयुक्त